

प्रपत्र 'छ'
(नियम 6 का उपनियम (2) और (4) देखिये)
उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958

भूमि के विकास के लिए अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए प्रपत्र

प्रेषक—

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र, ललितपुर
जिला—ललितपुर(उ.प्र.)

सेवा में,

श्री के०जी० प्रोपटीज इण्डिया प्राईवेट लिमि
द्वारा डायरेक्टर श्री शरद खैरा पुत्र स्व० श्री गौरीशंकर खैरा
निवासी — गाधीनगर ललितपुर (उ०प्र०)

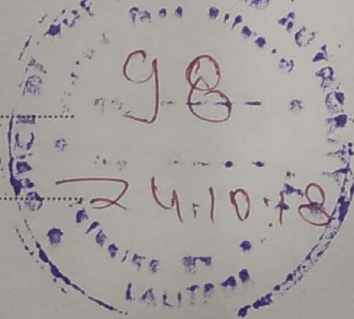
महोदय,

कालौनी/मार्ग सिद्धन वाई पास नेहरू नगर स्थित आराजी संख्या 1084 व 1086 ललितपुर बाहर हद नगर पालिका मे भूमि विकास हेतु अनुज्ञा देने के लिये आपके आवेदन संख्या 97/2016-17 दिनांक 14.09.16 के संदर्भ में मुझे आपको सूचित करना है, कि नियत प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर स्वीकृति दी गई है।

- 1— स्वामित्व के रूप में यह स्वीकृति तलपट मानचित्र किसी भी न्यायालय में मान्य नहीं होगा।
- 2— स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद होने पर यह स्वीकृत तलपट मानचित्र निरस्त कर दिया जाएगा और किए जा चुके निर्माण विकास पर नियमनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3— स्वीकृत तलपट मानचित्र के विरुद्ध कोई भी परिवर्तन करने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जाएगी और किए जा चुके विकास कार्य पर नियमनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 4— विकास कार्य करते समय निर्धारित प्रपत्र अ पर सूचना इस कार्यालय मे देना अनिवार्य है।
- 5— निरीक्षण के दौरान कर्मचारी/अधिकारी के अवलोकनार्थ तलपट मानचित्र स्थल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- 6— यह स्वीकृति स्वीकृति के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा इसके पश्चात इसके आधार पर किए जाने वाला/किया गया विकास कार्य अवैधानिक होगा।
- 7— इस तलपट मानचित्र से सरकारी/गैर सरकारी/ नगर पालिका नजूल या किसी भी भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 8— प्रस्तुत आंगणन व अनुबंध की शर्तों के अधीन, आपके द्वारा विकास कार्य न करने की दशा मे आपके द्वारा स्थापित अनुबंध में उल्लिखित/ बन्धक प्लॉट संख्या A-22 77.58 वर्ग मीटर A-23 81.07 वर्ग मीटर A-24 88.64 वर्ग मीटर A-25 96.34 वर्ग मीटर कुल 4 प्लॉट जिनका कुल क्षेत्रफल 343.63 वर्ग मीटर को जीलाम कर उससे विकास कार्य कराया जाएगा।

कार्यालय की मुहर.....

कार्यालय सूचना संख्या.....



.....
नियत प्राधिकारी के हस्ताक्षर